FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

केम्प कोर्ट – उंखलिया

भैरु पिता धन्ना गुर्जर, निवासी– देवरियॉ बनाम नारायण पिता सूरजमल गुर्जर निवासी– गागेडा

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र आदेश– 39 नियम–2 ए जाप्ता दीवानी

प्रकरण संख्या– 25/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट उंखलिया पर पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित । वकील प्रार्थी की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थी की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात किता 13 रकबा 31 बीघा 02 बिस्वा भूमि के लिऐ उनके द्वारा दावा पेश किया था। जिसके साथ 212 का प्रार्थना पत्र 104/2011 पेश किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2011 को आदेश फरमाया जाकर विपक्षीगण को राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनायी रखी जाने हेतु पाबन्द किया गया, स्टे होने के बाद भी विपक्षी संख्या– 1 से 9 ने विपक्षी संख्या– 10 से मिलकर, विपक्षी संख्या– 7 व 8 के पक्ष में दिनांक 16.05.2013 को विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवा लिया। विपक्षीगण का उक्त कृत्य न्यायालय के आदेश की अवहेलना की तारीफ में आने से विपक्षीगण को अधिक से अधिक सजा दिलवाई जांवें। मैनें वकील प्रार्थी को सूना। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या–104/2011 अन्तर्गत धारा 212 राटिए उनवान भैरु बनाम गीता की औडर सीट की प्रमाणित प्रति के अनुसार प्रकरण में न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.12.2011 को अन्तरिम आदेश पारित किया जाकर विपक्षी संख्या– 01 से 08 को पाबन्द किया गया था कि वह मोजा देवरियॉ तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 79, 93, 138, 145, 146, 146, 147, 151, 155, 160, 161, 891, 1089 किता 13 रकबा 31 बीघा 02 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। यहॉ प्रार्थीगण का कथन है कि विपक्षीगण को पाबन्द करने के बावजूद भी उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या– 7 व 8 के पक्ष में दिनांक 16.05.2013 को विक्रयपत्र पंजीवृद्ध करवा दिया। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रयपत्र दिनांक 16.05.2013 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। जिसका भी	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया गया।

चुँकि न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या– 104/2011 में दिनांक 19.12.2011 को वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये थे । विक्रय करने कराने पर किसी प्रकार का स्थगन नही दिया गया था। इस प्रकार अप्रार्थीगण के द्वारा किया गया विक्रय न्यायालय आदेश की अवहेलना की तारीफ में नही आने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

"आदेश"

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। आदेश आज दिनांक 06.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट उंखलिया पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner